न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 299/2018 दायर दिनाँक 23.08.2018

वादी		प्रतिवादीगण
1. बेगाराम पुत्र दुलाराम, जाति जाट, उम्र 52 वर्ष, निवासी ढ़ीगाल, तहसील डीडवाना	बनाम्	1. रामूराम पुत्र दुलाराम, 2. रामेश्वरी पत्नि रामूराम, 3. हणमान राम पुत्र दुलाराम, 4. सुमन पूत्री नानूराम, 5. चुनी देवी पत्नि नानूराम, 6. मेघाराम पुत्र पुसाराम, 7. अमराराम पुत्र पुसाराम, 8. बालुराम पुत्र धारूराराम, 9. भंवरलाल पुत्र धारूराम, 10. देवाराम पुत्र धारूराम, 11. दुर्गाराम पुत्र धारूराम, 12. लिखमाराम पुत्र धारूराम, 13. डालुराम पुत्र धारूराम, 14. डालूराम पुत्र धारूराम, समस्त जाति जाट निवासीयान ढ़ीगाल, तहसील डीडवाना, जिला नागौर 15. तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा–53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थितः–

1. श्री हीरसिंह बलारा व रणजीत बलारा वकील वादी की और से।
2. श्री मोहम्मद रफीक वकील प्रतिवादी संख्या 01 ता 13 की और सें।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **15.07.2021**

वाद कें संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादीगण सभी एक ही परिवार के है, जिनकी वंशावली पत्रावली में दर्शायी गयी है, खेत खसरा संख्या 54 रकबा 23 बीघा, खसरा संख्या 121 रकबा 5.16 बीघा, कुल 28.16 बीघा वाके ढ़ीगाल की वर्तमान में खातेदारी प्रतिवादी नम्बर 06 के 14.08 बीघा व प्रतिवादी नम्बर 07 ता 13 के नाम से 14.08 बीघा की खातेदारी दर्ज है, चुनाराम की मृत्यु हो चुकी है।तथा खेत खसरा संख्या 54/227 रकबा 18.09 बीघा व खसरा संख्या 121/283 रकबा 4 बीघा कुल 22.09 बीघा वाके ढ़ीगाल की वर्तमान में खातेदारी प्रतिवादी नम्बर 01 ता 05 के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। तथा खेत खसरा संख्या 88 रकबा 27.04 बीघा व खसरा संख्या 299/88 रकबा 0.04 बीघा कुल 27.08 बीघा की खातेदारी में प्रतिवादी नम्बर 06 ता 13 के नाम से 1/8 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज है इस 1/8 हिंस्से के अलावा अन्य खातेदारों [illegible] कोई लेनादेना नहीं है। तथा जैसाराम की मृत्यु [illegible] इन सेवादी को व जैसाराम की पुत्री सोहनीदेवी [illegible] 18.09 बीघा व खसरा संख्या 121/283 रकबा 4 बीघा [illegible] बीघा में से अपने सम्पूर्ण हिंस्सा का बेचाण रामेश्वरी पत्नि रामूराम व सुमन कुमारी पुत्री नानूराम को जरिये रिजस्ट्री दिनॉक 15.02.2016 को विक्रय कर कब्जा संभला दिया था,

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2021.08.02 16:39:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

जिनकी खातेदारी राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो गयी तथा इसी प्रकार खेत खसरा संख्या 54/227 रकबा 18.09 बीघा व खसरा संख्या 121/233 रकबा 4 बीघा कुल 22.09 बीघा में से जगुराम उर्फ जगनाथ ने अपना संभावित हिस्सा वादी बेगाराम को दिनॉक 01.09.2010 को जरिये तर्कनामा देकर कब्जा मौके पर संभला दी थी, जिसकी खातेदारी भी 1/3 हिंस्से की वादी बेगाराम के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो गयी। तथा खसरा संख्या 54/227 रकबा 18.09 बीघा व खसरा संख्या 121/233 रकबा 4 बीघा कुल 22.09 बीघा की खातेदारी स्वर्गीय बखताराम के वारिसान वादी व प्रतिवादी नम्बर 1,3,5 के नाम से राजस्व रेकर्ड मे दर्ज है। जबकि खेत खसरा संख्या 54 रकबा 23 बीघा व खसरा संख्या 121 रकबा 5.16 बीघा कुल 28.16 बीघा की खातेदारी स्वर्गीय अर्जुनराम के वारिसान प्रतिवादी नम्बर 06 त 13 के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। इस प्रकार कुल भूमि 22.9+28.16=51.05 बीघा भूमि वादी के पिता व दादा के समय से थी, जो पैतृकथी और इस कुल 51.05 बीघा में से 1/2 अर्थात 25.13 बीघा भूमि वादी व प्रतिवादी नम्बर 1, 3, 5 की खातेदारी की दर्ज होने के बजाय मात्र 22.09 बीघा ही राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई। जबकि प्रतिवादी नम्बर 06 ता 13 की खातेदारी में 28.16 बीघा भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो गयी। जबकि इनके भी उक्त कुल भूमि का 1/2 हिस्सा अर्थात 25.12 बीघा भूमि की ही खातेदारी दर्ज होनी चाहिए थी, ऐसी स्थिति में वादी व प्रतिवादी नम्बर 1, 3, 5 के नाम से खातेदारी खसरा संख्या 54 रकबा 23 बीघा में से 2.10 बीघा पूर्वी जो उतर–दक्षिण लम्बाई में व खसरा सख्या 121 रकबा 5.16 बीघा में से पूर्वी 14 बिस्वा कुल 3.04 बीघा की खातेदारी वादी व प्रतिवादी नम्बर 1, 3, 5 के नाम से होनी कानून जरूरी है। तथा स्वर्गीय बगताराम व स्वर्गीय अर्जुनराम के वारिसान वादी व प्रतिवादी नम्बर 1, 3, 5 व स्वर्गीय अर्जुनराम के वारिसान प्रतिवादी नम्बर 6 ता 13 प्रत्येक के कुल 51.05 बीघा भूमि में से 1/2 –1/2 हिंस्सो पर काबिज है तथा इसी प्रकार वर्षो पूर्व पक्षकारान की सहमति से मौखिक बंटवारा हो कर अपने–अपने बंट के हिस्सो पर काबिज है, स्वर्गीय बगताराम व अर्जुनराम सगे भाई है, जो स्वर्गीय लालाराम के पुत्र है, इस बंटवारे को वादी ने अपने नजरी नक्शा में दर्शाया है जो वाद का भाग है।

प्रतिवादी नम्बर 1, 3, 5 खसरा संख्या 54 रकबा 23 बीघा में से 2.10 बीघा व खसरा संख्या 121 रकबा 5.16 बीधा में से 14 बिस्वा कुल 3.04 बीघा की खातेदारी की घोषणा अपने नाम से करवाना चाहते है, जिसके ये कानून हकदार है प्रतिवादी नम्बर 06 ता 13 के नाम से उक्त खेत खसरा संख्या 54 रकबा 23 बीघा की बजाय 20.10 बीघा व खसरा 121 रकबा 5.16 बीघा की बजाय 5.02 बीघा कुल 25.12 बीघा की खातेदारी दर्ज कर राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती की जानी आवश्यक है। राजस्व कर्मचारियों की गलती से प्रतिवादी नम्बर 06 ता 13 के नाम से ज्यादा भूमि दर्ज हो गयी थी, जिसकी दुरूस्ती की जानी आवश्यक है। इसी प्रकार खेत खसरा संख्या 88 रकबा 27.04 बीघा व खसरा संख्या 299/88 रकबा 0.04 बीघा कुल 27.08 बीघा में भी प्रतिवादी नम्बर 06 ता 13 के 1/8 हिस्से में वादी व प्रतिवादी नम्बर 1, 3, 5 के नाम से खातेदारी की घोषणा की जानी कानून सम्मत है क्योंकि इसमें भी सहव से बखताराम के वारिसान के नाम लगने से रह गये थे, जिनकी दुरूस्ती भी की जानी कानून जरूरी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2021.08.02 16:39:33 IST
Reason: SelfAttested

वादी का वाद दर्ज रजिस[illegible] किया[illegible]। प्रतिवादीगण सख्या 01 ता 14 को जरिये स[illegible] जवाबदेही [illegible] किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 ता 13 ने स्वयं अदालत में हाजिर [illegible] जरिये अधिवक्ता ईकबाली जबाब पेश किया, प्रतिवादी संख्या 14 बावजुद [illegible]मिल के हाजिर अदालत नही आने से उसके खिलाफ एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी जाने का आदेश पारीत किया।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

प्रतिवादीगण का जबाब शामिल मिशल किया गया, दस्तावेजी साक्ष्य में वादी ने वाद के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा प्रदर्श :– 1 है, ईकबाली जबाब प्रदर्श :– 02 व 03 है, जमाबन्दी प्रदर्श 4 लगायत 6 है, सेटलमेन्ट का प्रमाणपत्र प्रदर्श :–7 है।

विद्वान अधिवक्ता वादी व प्रतिवादी के द्वारा की गयी सागर्भित बहस सुनी गयी, पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया, बहस पर मनन् किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन किया। अधिवक्ता वादी व प्रतिवादी ने नजरी नक्शा में दर्शाये अनुसार व वाद में वर्णितानुसार वाद का डिक्री किये जाने की इस्तदुआकररहेहै।

अतः नजरीनक्शा व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो के परिप्रेक्ष्य में वादी का वाद डिक्री किया जाता है।

–: आदेश :–

दावा अन्तिम डिक्री सादिर कर खसरा संख्या 54/227 रकबा 18.09 बीघा, खसरा संख्या 121/233 रकबा 4 बीघा, खसरा संख्या 54 रकबा 23 बीघा में से उतरी 2.10 बीघा व खसरा संख्या 121 रकबा 5.16 बीघामें से उतरी 14 बिस्वा कुल 25.13 बीघा भूमि वाके ढ़ीगाल के खातेदार वादी बेगाराम, प्रतिवादी रामूराम, प्रतिवादी हनुमानराम व चुनीदेवी को स्वतत्रं खातेदार व काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खसरा संख्या 54 रकबा 23 बीघा में से दक्षिणी 20.10 बीघा व खसरा संख्या 121 रकबा 5.16 बीघा में से दक्षिणी 5.02 बीघा कुल 25.12 बीघा वाके ढ़ीगाल के खातेदार प्रतिवादी संख्या 06 ता 13 का खातेदार व काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा खेत खसरा संख्या 88 रकबा 27.04 बीघा, खसरा संख्या 299/88 रकबा 004 बीघा कुल 27.08 बीघा वाके ढ़ीगाल में से 1/8 हिंस्से के खातेदार प्रतिवादी नम्बर 06 ता 13 के साथ वादी व प्रतिवादी नम्बर 01, 03 व 05 को सह खातेदार घोषित किये जाते है। नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। इसी माफिक राजस्व रेकर्ड में दुरुस्ती हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगें।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 15.07.2021 को खुले इजलास में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2021.08.02 16:39:33 IST
Reason: SelfAttested

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **299/2018** दायर दिनाँक **23.08.2018**

वादी		प्रतिवादीगण
1. बेगाराम पुत्र दुलाराम, जाति जाट, उम्र 52 वर्ष, निवासी ढ़ीगाल, तहसील डीडवाना	**बनाम्**	1. रामूराम पुत्र दुलाराम, 2. रामेश्वरी पत्नि रामूराम, 3. हणमान राम पुत्र दुलाराम, 4. सुमन पूत्री नानूराम, 5. चुनी देवी पत्नि नानूराम, 6. मेघाराम पुत्र पुसाराम, 7. अमराराम पुत्र पुसाराम, 8. बालुराम पुत्र धारूराराम, 9. भंवरलाल पुत्र धारूराम, 10. देवाराम पुत्र धारूराम, 11. दुर्गाराम पुत्र धारूराम, 12. लिखमाराम पुत्र धारूराम, 13. डालुराम पुत्र धारूराम, 14. डालूराम पुत्र धारूराम, समस्त जाति जाट निवासीयान ढ़ीगाल, तहसील डीडवाना, जिला नागौर 15. तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत्
घोषणा, रेकर्ड दुरूस्ती एवं रेकर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 53, 188 R.T. Act.

दिनाँक **15.07.2021**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री हीरसिंह बलारा व रणजीत बलारा वकील वादी की और से वकील प्रतिवादी श्री मोहम्मद रफीक संख्या 01 ता 13 की और सें मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, जरिये राजीनामा दावा स्वीकार कर वाके खसरा संख्या 54/227 रकबा 18.09 बीघा, खसरा संख्या 121/233 रकबा 4 बीघा, खसरा संख्या 54 रकबा 23 बीघा में से उतरी 2.10 बीघा व खसरा संख्या 121 रकबा 5.16 बीघामें से उतरी 14 बिस्वा कुल 25.13 बीघा भूमि वाके ढ़ीगाल के खातेदार वादी बेगाराम, प्रतिवादी रामूराम, प्रतिवादी हनुमानराम व चुनीदेवी को स्वतत्रं खातेदार व काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खसरा संख्या 54 रकबा 23 बीघा में से दक्षिणी 20.10 बीघा व खसरा संख्या 121 रकबा 5.16 बीघा में से दक्षिणी 5.02 बीघा कुल 25.12 बीघा वाके ढ़ीगाल के खातेदार प्रतिवादी संख्या 06 ता 13 का खातेदार व काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा खेत खसरा संख्या [illegible] खसरा संख्या 299/88 रकबा 004 बीघा कुल 27.08 बीघा वाके ढ़ीगाल में से 1/[illegible] हिस्सा [illegible] खातेदार [illegible] नम्बर 06 ता 13 के साथ वादी व प्रतिवादी [illegible] 01, 03 व 05 [illegible] घोषित किये जाते ह खातेदारी वाद में पेश रा[illegible] व संलग्न [illegible]क्शा अनुसार बंटवारा कर पक्षकारान की अलग–अलग खातेदारी घोषित की जाती[illegible] राजीनामा व नजरी नक्शा निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2021.08.02 16:39:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.......................–............
........खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह..........–.......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 12.07.2021 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2021.08.02 16:39:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner